



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फ़ैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक: 1560 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकूल /

दिनांक: 28.10.2020

विषय: कोविड-19 से ग्रसित या कोविड-19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित होने के फलस्वरूप पृथककरण में रखे कार्मिकों के अवकाश के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष,
पिटकुल

कृपया उपरोक्त विषयक मुझे हुए निदेशों के अनुक्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 404/VIII-1/2020-31/ (श्रम)/2015 टीसी-III दिनांक 02.06.2020 की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(ए०के० जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)

पत्रांक: / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकूल / तददिनांकित।

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर-निदेशक (परिचालन)/ (परियोजना)/ (मा०सं०)/ (वित्त) को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकूल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत पत्र को पिटकूल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(ए०के० जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या:- 404 / VIII-1 / 2020-31 / (श्रम) / 2015 टीसी-III

देहरादून: दिनांक: 2 जून, 2020

अधिसूचना

चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य, कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार से संकटग्रस्त है, जो कि खतरनाक महामारी है और सम्प्रति प्रवृत्त विधि के सामान्य उपबन्ध का प्रयोजन हेतु अपर्याप्त है:

अतएव, राज्यपाल, महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन 1897) की धारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित विनियम विहित करते हैं-

1. कोविड-19 से ग्रसित कर्मचारियों/कर्मकारों या जो कोविड-19 से सदिग्ध रूप से प्रभावित हो और पृथक्करण में रखे गये हों, को उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किया जायेगा। ऐसा अवकाश केवल तभी अनुमत्त होगा जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ होने के पश्चात् अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान/प्रस्तुत करेंगे।
2. ऐसी सार्वजनिक दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों, जहां दस या उससे अधिक कर्मकार नियोजित/योजित हों, को उक्त अधिष्ठानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वारा पर, को कोविड-19 की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।
3. यह विनियम तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(हरबंस सिंह चुध)
सचिव।

संख्या:- 404 / VIII-1 / 2020-31 / (श्रम) / 2015 टीसी-III. तददिनांकित।

निम्नलिखित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण एवं मा. राज्यमंत्रीगण(स्वतंत्र प्रभार), उत्तराखण्ड शासन को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग एवं राज्य योजना आयोग के संज्ञानार्थ।
5. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, मैनीताल रोड, इल्हानी। विभाग की वेबसाइट पर तत्काल प्रकाशित करने व व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु।
6. निर्देशक, एन.आई.सी. देहरादून।
7. निर्देशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

R.

(उमेश नारायण पाण्डेय)

अपर सचिव।